भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-10

उत्तर देने की तारीख-01/12/2025

मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत संदूषित भोजन

†10. श्री राकेश राठौर:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल के वर्षों में देश भर में मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत विद्यालयों में परोसे जा रहे संदूषित भोजन की कई घटनाएं सामने आई हैं जिन्होंने बच्चों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे संदूषित भोजन के परिणामस्वरूप प्रभावित बच्चों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश भर में खाद्य के भंडारण, तैयारी और वितरण की निगरानी के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रभावी कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या खाद्य स्वच्छता और गुणवत्ता के साथ-साथ बजट उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नए दिशानिर्देशों को लागू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा बेहतर कार्यान्वयन के लिए इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ): प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के बाल वाटिका (कक्षा- I से ठीक पहले) और कक्षा I से VIII में पढ़ने वाले सभी बच्चों को एक गर्म पका हुआ और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के साथ साझेदारी में लागू की गई सबसे महत्वपूर्ण अधिकार आधारित केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से एक है। इस योजना में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 10.35 लाख से अधिक स्कूलों में लगभग 11 करोड़ बच्चे शामिल हैं। पात्र बच्चों को गर्म पका हुआ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की समग्र जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, भारत सरकार द्वारा

पीएम पोषण योजना के लिए बजट आवंटन 12,500 करोड़ रुपये है और साझाकरण पैटर्न के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का हिस्सा लगभग 8,500 करोड़ रुपये है, जिसमें रसोइया-सह-सहायकों और पूरक पोषण वस्तुओं के मानदेय के लिए अतिरिक्त धनराशि शामिल है। भारत सरकार द्वारा खाद्यान्न आवंटन 24.15 लाख मीट्रिक टन है, जिसकी लागत लगभग 9000 करोड़ रुपये है। इस प्रकार, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पीएम पोषण योजना के लिए कुल आवंटन 30,000 करोड़ रुपये से अधिक है, जिसमें भारत सरकार द्वारा किए गए 21,500 करोड़ रुपये से अधिक शामिल हैं।

भारत सरकार ने इस योजना के अंतर्गत अच्छी गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन परोसना सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वच्छता पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इन दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है। ये दिशानिर्देश आधिकारिक वेबसाइट https://pmposhan.education.gov.in पर उपलब्ध हैं। इन दिशा-निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, बच्चों को गर्म भोजन परोसने से पहले कम से कम एक शिक्षक सहित स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए एगमार्क गुणवत्ता और ब्रांडेड मदें प्राप्त करने, रसोइया-सह-सहायकों को प्रशिक्षण, स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा भोजन का स्वाद चखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि भोजन पोषण मानकों और गुणवत्ता को पूरा करता है, सरकारी खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला या कानून द्वारा मान्यता प्राप्त या मान्यता प्राप्त किसी प्रयोगशाला द्वारा खाद्य नमूनों के परीक्षण का प्रावधान है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) के मापदंडों को पूरा करते हुए सर्वोत्तम उपलब्ध गुणवत्ता का खाद्यान्न उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई है।दिशा-निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, पोषण, खाना पकाने की प्रक्रियाओं, स्वास्थ्य और स्वच्छता, कच्चे अनाज और सब्जियों को तैयार करने, व्यंजनों, परोसने के कौशल आदि पर रसोइया-सह-सहायकों के प्रशिक्षण का प्रावधान है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र होटल प्रबंधन संस्थानों, खाद्य शिल्प संस्थानों, एफएसएसएआई, राज्य विश्वविद्यालयों आदि के सहयोग से सीसीएच को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।कई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र खाना पकाने की प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं और विजेताओं को विविध और पौष्टिक भोजन पकाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नकद पुरस्कार भी देते हैं।राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निर्धारित पोषण और खाद्य मानदंडों के भीतर स्थानीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त मेनू तय करने और बाजरा, सब्जियों, मसालों आदि जैसे स्थानीय रूप से उगाए जाने वाले खाद्य पदार्थों की खरीद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।दिशा-निर्देशों में स्कूल के सभी बच्चों के लिए साबुन से हाथ धोने की भी परिकल्पना की गई है।

पोषण माह/पोषण पखवाड़ा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सामुदायिक लामबंदी की सुविधा प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि स्कूल विशेष स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) की बैठकों, पोषण और स्वच्छता पर जागरूकता अभियान जैसी सार्थक गतिविधियां करें।स्कूल स्तर पर बाजरा के उपयोग, हैंडवॉश, संतुलित आहार और हरी पत्तेदार सब्जियों के महत्व आदि के बारे में जानकारी के प्रसार के लिए प्रश्नोत्तरी, पेंटिंग प्रतियोगिता, रैली, नुक्कड़ नाटक जैसी विभिन्न अन्य गतिविधियां भी आयोजित की जाती हैं।

योजना के दिशा-निर्देशों में रसोई-सह-भंडार (केसीएस) के निर्माण और मरम्मत का प्रावधान है। किसान क्रेडिट कार्ड के निर्माण और मरम्मत के लिए निधियां राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की जाती हैं। पहचान किए गए जिलों में स्कूल पोषण उद्यानों की स्थापना और पूरक पोषण कार्यकलापों के प्रावधान के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपयोग किए जाने वाले फ्लेक्सी घटक के रूप में कुल आवर्ती बजट के 5% का प्रावधान है।कई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अंडा, दूध, चिक्की, ताजे फल, चिकन, रागी माल्ट आदि जैसे अतिरिक्त पूरक पोषण कार्यकलाप प्रदान करते हैं।

पीएम पोषण योजना के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सभी जिलों में कम से कम 20 स्कूलों या 2 प्रतिशत स्कूलों में, जो भी प्रत्येक जिले के लिए अधिक हो, सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करने की आवश्यकता है। सामाजिक लेखा परीक्षा के निष्कर्षों पर कार्रवाई करने और अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने देश भर के 32,664 स्कूलों में सामाजिक लेखा परीक्षा की है। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने नामित अधिकारियों के माध्यम से 9.78 लाख स्कूलों में निरीक्षण किया है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने देश भर में भोजन की 25,389 जांच की है।

इस योजना में विस्तृत निगरानी तंत्र का भी प्रावधान है अर्थात माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति, सचिव (डीओएसई एंड एल) की अध्यक्षता में कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी), मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य संचालन-सह-निगरानी समिति, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय संचालन-सह-निगरानी समिति।पीएम पोषण दिशा-निर्देशों में तिमाही आधार पर योजना की निगरानी के लिए जिले के वरिष्ठतम संसद सदस्य(एम पी) की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति का प्रावधान है।

पिछले 5 वर्षों के दौरान पीएम पोषण योजना के तहत संदूषित भोजन की कुल 11 (11) घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें 3 बिहार में (2024), 2 दिल्ली में (2023), 2 ओडिशा में (2022, 2024), 2 राजस्थान में, 1 उत्तर प्रदेश में (2021) और 1 पश्चिम बंगाल में (2023) शामिल हैं। इन घटनाओं के दौरान 674 बच्चों के बीमार होने की सूचना मिली थी और सभी छात्रों का इलाज किया गया और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

*****